

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम


अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री नटवरसिंह पुत्र श्री मानसिंह
निवासी गुलाबगंज तहसील रेवदर
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार रेवदर

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 49 वर्ष 2022

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नटवर व सिरौही में इस हुकम को तामिल में नाश हो
22.08.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 25.05.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांत द्वारा आवेदन में वर्णित क्रम संख्या 01 से 09 तक के समस्त खाताधारकों के ब्यौरा सहित खातों की जमाबन्दी नकल की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 25.05.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांत द्वारा आवेदन में वर्णित क्रम संख्या 01 से 09 तक के समस्त खाताधारकों के ब्यौरा सहित खातों की जमाबन्दी नकल की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  (डॉ. भँकर लाल) जिला कलक्टर, सिरौही </p>	

